म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड–4 / 2 / यो. / 71 / 202 भोपाल, दिनांक 10 / 01 / 2008

–: आदेश :–

कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी–4 / 2 / यो. / 71 / 34 दिनांक 24.08.2006 के द्वारा उपविधि की कण्डिका 38 के अधीन ''कृषि विपणन पुरूस्कार योजना'' को संशोधित कर दिनांक 01 अक्टूबर 2006 से प्रभावशील की गई है। उपविधि की कण्डिका–37 के बिन्दु क्रमांक–4 मे ''योजना का ड्रा'' की प्रक्रिया उल्लेखित की गई है। संदर्भित आदेश में उल्लेखित अनुसार योजना के ड्रा वर्ष में तीन बार यथा 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), बलराम जयंती, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को निकाला जाना प्रावधानित किया गया है।

अपरिहार्य कारणवश राज्य शासन द्वारा बलराम जयंती की तिथि घोषित न होने की दशा में मण्डियों के द्वारा बलराम जयंती को निकाले जाने वाले ड्रा के लिये बार–बार मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः संदर्भित परिप्रेक्ष्य में कृषकों के हितों एवं योजना की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उपविधि कण्डिका–37 की बिन्दु क्रमांक–4 ''योजना का ड्रा'' में संशोधन किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों से यह अपेक्षा करते हुए निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर मण्डी समितियों की उपविधि सन् 2000 की उपविधि कण्डिका–37 के बिन्दु क्रमांक–4 ''योजना का ड्रा'' के प्रावधानों को अधिष्ठित कर निम्नानुसार प्रावधान स्थापित करते हुए दिनांक 25 जनवरी 2008 तक मण्डी समिति की उपविधि को संशोधित करें :–

''कण्डिका क्रमांक–4 योजना का ड्रा'' :–

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि विपणन पुरूस्कार योजना का ड्रा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष मे तीन बार यथा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं बलराम जयंती (शासन द्वारा घोषित दिनांक) पर निकाले जावेंगे। ड्रा निकालने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा 01 जनवरी से 30 अप्रेल तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 15 अगस्त को व 01 मई से 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा बलराम जयंती को तथा 16 अगस्त से 31 दिसम्बर तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 26 जनवरी को निकाला जावेगा। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणवश बलराम जयंती को मण्डी द्वारा ड्रा नही निकाला जा सका है तो यह ड्रा , आगामी ड्रा की तिथि, यथा 26 जनवरी को मण्डी में जारी 01 मई से 15 अगस्त तक के भुगतान पत्रकों के लिये और 16 अगस्त से 31 दिसम्बर तक जारी भुगतान पत्रकों के लिए अलग–अलग निकाला जावेगा। योजना का ड्रा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मण्डी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर कृषकों, व्यापारियों, मण्डी क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में खोला जावेगा। योजना तथा लाटरी ड्रा निकाले जाने वाली तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा जिसकी सूचना मण्डी समिति, नगर पालिका, पंचायत, जनपद पंचायत तथा कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल

पर सूचनार्थ चस्पा कराई जावेगी। यथा संभव ड्रा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।"

विनिर्दिष्ट–कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार उपविधि संशोधन न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 81(2) के अधीन उपरोक्त उपविधि संशोधन अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा संशोधित किया गया समझा जावेगा और तदोपरी ऐसा संशोधन दिनांक 01 मार्च 2008 से मण्डी समिति पर आबध्दकर होगा।

09/01/08

(एस0एस0 उप्पल)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड–4 / 2 / यो. / 71 / 203 भोपाल, दिनांक 10 / 01 / 2008

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. मुख्यलेखाधिकारी / संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल .... ।
4. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.. ।
5. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.............................. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। यह सुनिश्चित करें कि उपविधि में उपरोक्त संशोधन प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित कर नियत अवधि में मण्डी क्षेत्र में प्रभावशील किया जावे। उपरोक्त उपविधि संशोधन आदेश के पालन में क्रियान्वयन की प्रगति से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की आगामी मासिक बैठक में स्थिति से अवगत करायें।
6. अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

09/01/08

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल